## प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 7/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली,– 2 फरवरी, 2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने समय-समय पर यथासंशोधित 'बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009' के माध्यम से बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए सेवा गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित किया है।

2. भादूविप्रा तिमाही आधार पर प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) प्राप्त करके दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है। पीएमआर को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर प्रकाशित किया जाता है। भादूविप्रा निर्धारित सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क के संबंध में सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा और उद्देश्य मूल्यांकन भी करता है।

3. सेवा गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करने और उपभोक्ता अनुभव को और बेहतर बनाने के उपायों के लिए बैठकों, परामर्श पत्रों और ओपन हाउस चर्चा के माध्यम से संबंधित हितधारकों के साथ नियमित बातचीत की जाती है।

4. सेवा गुणवत्ता सुधार एक निरंतर अभ्यास होने के कारण, इसकी सतत् मूल्यांकन और निगरानी की आवश्यकता है। विशेषत: तेज गति वाले नेटवर्क विस्तार और 5 जी जैसी नवीनतम तकनीक के आगमन के पश्चात ।

5. तदनुसार, सेवा गुणवत्ता में सुधार के उपायों और कार्य योजना, सेवा गुणवत्ता मानकों की समीक्षा, 5 जी सेवाओं की सेवा गुणवत्ता और अवांछित वाणिज्यिक संचार पर चर्चा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ 17 फरवरी, 2023 को एक बैठक निर्धारित की गई है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा